

कार्यालय उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश
जिला छिन्दवाड़ा, सिवनी बालाघाट

क्रमांक/ १० /सू. अधि./2016

छिन्दवाड़ा दिनांक 18/ 07 /2016

प्रति,

आयुक्त सह-संचालक
संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश
म.प्र. भोपाल

विषय-सूचना का अधिकार नियम विभाग की वेबसाईट में अपलोड कराने के बाबत।

संदर्भ-आपका पत्र क्रमांक 2847/सू.अ./ नग्रानि / 2016 भोपाल दिनांक 29/06/2016

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि सूचना का अधिकार की धारा 4 के प्रावधानों के अंतर्गत कार्यालय उप संचालक नगर तथा ग्राम निवेश जिला कार्यालय छिन्दवाड़ा से संबंधित 17 बिन्दु का मैन्यूवल विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करवाने की कृपा करे।

Handwritten signature


संचालनालय	
नगर तथा ग्राम निवेश	
आवक क्र.	4977
दिनांक	23/7/16
शाखा	
अधीक्षक	आयुक्त

Handwritten signature
उप संचालक
सूचना अधिकारी
नगर तथा ग्राम निवेश
जिला छिन्दवाड़ा

बिन्दु क्रमांक :-1

अ) कार्यालय का नाम :- उप संचालक नगर तथा ग्राम निवेश जिला कार्यालय छिन्दवाड़ा म.प्र.

कार्यालय का सेटअप अनुसार



(ब) कार्यालय की विभिन्न शाखाओं के शाखावार दायित्व/कार्य

- 01 - योजना शाखा :- समय-समय पर शासन द्वारा दिये निर्देशानुसार नगर की विकास योजना तैयार करने का कार्य एवं म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 के तहत विकास अनुज्ञाएँ जारी संबंधी कार्य ।
- 02 - शोध शाखा :- विकास योजना तैयार करने हेतु आवश्यक आंकड़ों का संकलन करना/अवैध विकास के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही करना एवं न्यायालयीन प्रकरण ।
- 03- सर्वेक्षण शाखा :- विकास योजना तैयार करने हेतु भौतिक सर्वेक्षण करना/वर्तमान भूमि उपयोग मानचित्र तैयार करना एवं स्थल निरीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करना ।
- 04- लेखा एवं स्थापना शाखा :- कर्मचारियों के व्यक्तिगत नस्तियों का संधारण, वेतन, आवक जावक टाईपिंग आदि समस्त कार्यालयीन कार्य ।
- 05- आई.टी. शाखा :- कम्प्यूटर संबंधी, आई.टी., आई.एफ.एम.आई.एस., ट्रेजरी संबंधी समस्त कार्य ।

बिन्दु क्रमांक 2 - कार्यालय में पदस्थ अधिकारी/कर्मचारी के नाम पद तथा परिलब्धियां संबंधी जानकारी।


क्रमांक	नाम	पदनाम	कर्तव्य	परिउपलब्धियां
1	2	3	4	5
01	श्री ईश्वर सिंह	उप संचालक	जिला कार्यालय प्रमुख के समस्त कार्य।	45594
02	श्री व्ही. के. गौर	सहा. ग्रेड - 01	ट्रेजरी संबंधी समस्त कार्य, आवक जावक ,लेखा, स्थापना कार्य एवं कार्यालय प्रमुख द्वारा समय-समय पर दिये गये निर्दिशानुसार कार्य।	29170
03	श्री बी. डी. दवंडे	उपयंत्री	विकास योजना , लक्ष्य अनुसार/सर्वे विधि , विकास अनुज्ञा का परिक्षण , भूमि उपयोग , प्रशासन में पारदर्शिता एवं कार्यालय प्रमुख द्वारा समय-समय पर दिये गये निर्दिशानुसार कार्य।	40175
04	श्री आनंद मालवीय	सहा. मानचित्रकार	नजूल प्रकरण , बैठक ,स्थल निरीक्षण , सूचना का अधिकार, विधान सभा प्रश्नों का निराकरण करना , बैठक , प्रशासन में पारदर्शिता।	29376
05	श्री शैलेन्द्र कुशवाहा	सहा. मानचित्रकार	मानचित्रों का अवलोकन,डायवर्सन प्रकरण संबंधी नस्ती पुटअप करना, विकास योजना तैयार करने हेतु भौतिक सर्वेक्षण करना/वर्तमान भूमि उपयोग, मानचित्र तैयार करना एवं स्थल निरीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करना एवं कार्यालय प्रमुख द्वारा समय-समय पर दिये गये निर्दिशानुसार कार्य,	22029
06	श्री मुकेश शेषकर	अन्वेषक	विकास योजना संबंधी डाटा संकलन, न्यायालीन संबंधी नस्तियों का रख-रखाव सूचना का अधिकार।	24539
07	कु0 संध्या अहके	सहा. ग्रेड - 3	आवक जावक ,लेखा, स्थापना कार्यों में सहयोग करना, एवं कार्यालय प्रमुख द्वारा समय-समय पर दिये गये निर्दिशानुसार कार्य, आवक जावक।	15906
08	श्री सीताराम कहार	चौकीदार	चौकीदारी करना कार्यालय प्रमुख द्वारा समय-समय पर दिये गये निर्दिशानुसार कार्य।	17367
09	श्री अमित मरावी	कम्प्यूटर आपरेटर	कम्प्यूटर संबंधी समस्त कार्य, भूमि उपयोग संबंधी फाइल पुटप करना , लेखा, स्थापना कार्यों में सहयोग करना, एवं कार्यालय प्रमुख द्वारा समय-समय पर दिये गये निर्दिशानुसार कार्य।	16000
10	श्री निखिल चौबे	चैनमेन	कार्यालयीन डाक वितरण करना , कार्यालय खोलना बंद करना, एवं कार्यालय प्रमुख द्वारा समय-समय पर दिये गये निर्दिशानुसार कार्य।	6000

11	श्री प्रकाश पाण्डे	भृत्य	कार्यालय खोलना बंद करना, कार्यालयीन डाक वितरण करना, अधिकारी कर्मचारीयों द्वारा समय समय पर सौंपे गये कार्य।	6000
----	--------------------	-------	--	------

टीप - यह कार्य आदेश आगामी आदेश तक अस्थायी रूप से लागू माना जावेगा।

बिन्दु क्रमांक :- 3

कार्यालय में अपनाये जाने वाली निर्णय प्रक्रिया :-



बिन्दु क्रमांक :- 4

कार्यालय द्वारा समय सीमा में कार्य निपटाने , गुणवत्ता तथा मात्रा ।

- 01 - म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 29 में प्राप्त आवेदन का निराकरण की समय सीमा 60 दिन ।
- 02 - नजूल/भूमि परिवर्तन प्रकरण में अभिमत हेतु समय सीमा 30 दिन ।
- 03 - भूमि उपयोग प्रमाण- पत्र हेतु समय सीमा 07 दिन ।
- 04 - सूचना का अधिकार के तहत प्राप्त आवेदन की समय सीमा 30 दिन ।

बिन्दु क्रमांक :- 5

कार्यालय में उपयोग होने वाले उपलब्ध अधिनियम , नियम , रेगुलेशन , मैनुयल की सूची :-

- 01 - म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973
- 02 - म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश नियम 2012
- 03 - म.प्र. भूमि विकास नियम 2012
- 04 - म.प्र. अवकाश नियम
- 05 - म.प्र. सामान्य भविष्य निधि नियम
- 06 - म.प्र. यात्रा नियम
- 07 - म.प्र. चिकित्सा प्रतिपूर्ति नियम एवं अन्य विभाग से संबंधित नियम ।

बिन्दु क्रमांक :- 6

कार्यालय में संधारित किये जाने वाले विभिन्न अभिलेखों की सूची तथा वर्गीकरण

- 01 - शोध शाखा :- न्यायालयीन प्रकरण नस्ती
- 02 - सर्वेक्षण शाखा :- कोई सर्वे उपकरण उपलब्ध नहीं है ।
- 03 - योजनाशाखा :- 1 - धारा 27 पंजी, 2 - धारा 28 पंजी, 3 - धारा 29 पंजी, 4 - धारा 16 पंजी, 5 - भू-राजस्व संहिता के तहत प्राप्त प्रकरण पंजी, 6 - सूचना का अधिकार पंजी, 7 - सामान्य प्रकरण पंजी, 8 - नजूल भूमि पंजी
- 4 - लेखा/स्थापना शाखा :- 1 उपस्थिति पंजी, 2 वार्षिक वेतन वृद्धि पंजी, 3 आकस्मिक अवकाश पंजी
- 1- यात्रा देयक पंजी, 2- चिकित्सा देयक पंजी, 3- वेतन रजिस्टर, 4- मासिक व्यय पंजी, 5- अग्रिमों की पंजी, 6- अवितरित राशि पंजी, 7- बिल रजिस्टर, 8- बी.टी.बी. बुक, 9- चेक रजिस्टर, 10- ड्राफ्ट रजिस्टर, 11- चालान रजिस्टर एवं मासिक राजस्व प्राप्तियाँ, 12- दूरभाष पंजी, भवन किराये की पंजी, 13- ट्रेजरी व्हाउचर इंड्राज पंजी, 14- सामूहिक बीमा/परिवार कल्याण निधि रजिस्टर, 15- विभागीय सामान्य निधि रजिस्टर ।

बिन्दु क्रमांक - 7

परामर्शदात्री समितियों की संरचना, उनके सदस्य प्रतिनिधि उनके नाम, आदेश क्रमांक, निर्णय संबंधी सरक्यूलर तथा दायित्व एवं कर्तव्य की जानकारी।

निरंक

बिन्दु क्रमांक - 8

कार्यालय के अंतर्गत आने वाले बोर्ड परिषद एवं समितियों के सदस्यों के नाम एवं अर्हता, गठन संबंधी आदेश, चार्टर/अनुबंध से संबंधी जानकारी बैठक आहूत संबंधी शासन के निर्देश, आम नागरिक की प्रतिभागिता तथा कार्यवाही विवरण।

निरंक

बिन्दु क्रमांक - 8 एवं -10

कार्यालय में कार्यरत समस्त अधिकारियों के नाम पदनाम वेतन तथा सुविधाएँ (यह जानकारी कार्यालय कोषालय दोनों जगह उपलब्ध रहेगी)।

क्र.	नाम	पदनाम	वेतन	सुविधाएँ
01	श्री ईश्वर सिंह	उप संचालक	16880-5400	म.प्र. शासन के कर्मचारियों को प्राप्त होने वाली समस्त सुविधाएँ
02	श्री व्ही. के. गौर	सहा. ग्रेड - 01	13100-2800	-
03	श्री बी. डी. दवंडे	उपयंत्री	16615-3200	-
04	श्री आनंद मालवीय	सहा. मानचित्रकार	12320-2800	-
05	श्री शैलेन्द्र कुशवाहा	सहा. मानचित्रकार	8360-2400	-
06	श्री मुकेश शेषकर	अन्वेषक	9050-2800	-
07	कु० संध्या अहके	सहा. ग्रेड - 3	5910-1900	-
08	श्री सीताराम कहार	चौकीदार	8490-1300	-
09	श्री अमित मरावी	कम्प्यूटर आपरेटर	16000	-
10	श्री निखिल चौबे	चैनमेन	6000	-
11	श्री प्रकाश पाण्डे	भृत्य	6000	-

बिन्दु क्रमांक - 11

कार्यालय के लिये वर्षानुसार मदवार, बजट आवंटन तथा उनके उपयोग संबंधी जानकारी (कार्यालय कोषालय दोनों जगह उपलब्ध है।) छायाप्रति सलग्न है।

बिन्दु क्रमांक - 12

विभाग के द्वारा संचालित कार्यक्रमों की सूची, हितग्राहियों के चयन प्रक्रिया, वित्तीय सहायता देने वाले संस्था वर्षवार आवंटित राशि तथा हितग्राहियों की संख्या, इसे प्रतिमाह अद्यतन करने की व्यवस्था सुनिश्चित की जावे।

निरंक

बिन्दु क्रमांक- 13

वार्षिक हितग्राहियों की सूची तथा उन्हें प्राप्त होने वाली सुविधाएँ

निरंक

कार्यालय में उपलब्ध जानकारी की सूची श्रेणी तथा उसकी प्रकृति (हार्ड कॉपी, इलेक्ट्रीक फार्म)

(अ)

-00-: निवेश क्षेत्र का गठन :-00-

क्र.	नाम	धारा 13(1) के अंतर्गत राजपत्र में प्रकाशन क्र/दिनांक	धारा 15(1) के अंतर्गत राजपत्र में प्रकाशन क्र/दिनांक	भूमि विकास नियम 2012 प्रभावशील है। हाँ/नहीं
01	छिन्दवाड़ा	क्रमांक-एफ-3/115/2014/32:-मध्यप्रदेश शासन द्वारा विभाग की अधिसूचना क्रमांक-2858/1-85/33 दिनांक 1973 के द्वारा मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा- 13(1) (क) अंतर्गत छिन्दवाड़ा निवेश क्षेत्र का गठन किया गया है।	छिन्दवाड़ा (निवेश क्षेत्र) के लिये भूमि के उपयोग संबंधी मानचित्र मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 15 की उपधारा (1) के अधीन तैयार किया गया है।	हाँ
02	पांडुर्ना	क्रमांक 4671/6152/बत्तीस/76. -मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 13 की उपधारा (1) के अंतर्गत एवं मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 15 अप्रैल 1977 के अनुसार	मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 15 की उपधारा (1) तथा मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 अप्रैल 1977 के अनुसार	हाँ
03	सौंसर	क्रमांक 4689/6154/बत्तीस/76. -मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 13 की उपधारा (1) के अंतर्गत एवं मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 अप्रैल 1977 के अनुसार	क्रमांक/1159/नग्रानि - मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 15 की उपधारा (3) तथा मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 जून 2011 के अनुसार	हाँ
04	परासिया	क्रमांक एफ-3-25/99/बत्तीस -मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 13 की उपधारा (1) के अंतर्गत एवं मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 मार्च 1999 के अनुसार	भूमि उपयोग प्रकाशन नहीं हुआ है।	नहीं
05	सिवनी	क्रमांक 232/एफ-1-2/बत्तीस - मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 13 की उपधारा (1) के अंतर्गत एवं मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 जनवरी 1974 के अनुसार	क्रमांक/1159/नग्रानि - मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 15 की उपधारा (3) तथा मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 अक्टूबर 1986 के अनुसार	हाँ
06	बालाघाट	क्रमांक 3403/एफ-1-101/तैंतीस/73.- मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 13 की उपधारा (1) के अंतर्गत एवं मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 दिसम्बर 1973 के अनुसार	क्रमांक/मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 15 की उपधारा (3) तथा मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 अगस्त 1979 के अनुसार	हाँ
07	परासिवनी	क्रमांक 2973/3861/बत्तीस/77.	भूमि उपयोग प्रकाशन नहीं हुआ	नहीं

	—मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 13 की उपधारा (1) के अंतर्गत एवं मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 08 अगस्त 1977 के अनुसार	हैं।	
--	---	------	--

बिन्दु क्रमांक - 15

नागरिक को सूचना उपलब्ध कराने हेतु उपलब्ध सुविधाएँ जैसे पुस्तकालय पब्लिक काउंटर आदि:-

नागरिक को सूचना उपलब्ध कराने के लिये म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973, के तहत शासन द्वारा स्वीकृत विकास योजना छिन्दवाड़ा, सौंसर, पांढुर्ना, सिवनी, बालाघाट की पुस्तकें विक्रय हेतु उपलब्ध है। जिसे निर्धारित शुल्क जमा कर क्रय किया जा सकता है।

बिन्दु क्रमांक - 16

लोक सूचना अधिकारी से संबंधित जानकारी:-

- 01- सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत कार्यवाही की जाती है।
- 02- सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 5 के तहत कार्यालय में लोक सूचना अधिकारी/सहायक लोकसूचना अधिकारी नामांकित किये गये हैं।(छायाप्रति सलग्न)
- 03- अधिनियम की धारा 4(1) के तहत 17 बिन्दुओं का मेन्युल तैयार किया गया है।
- 04- अधिनियम की धारा 19 के प्रावधान अनुसार अपीलीय प्राधिकारी का नामांकन किया गया है।
- 05- सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 5 के तहत जानकारी देने संबंधित प्रपत्रों (प्रपत्र 1से 6) पर नियमानुसार

कार्यवाही की जाती है, तथा आवश्यक पंजी संधारित की जाती है।

बिन्दु क्रमांक - 17

प्राथमिक जानकारी जिसका सीधा संबंध आम नागरिक से हों।

निरंक

सहायक संचालक
एवं
लोक सूचना अधिकारी
नगर तथा ग्राम निवेश
जिला छिन्दवाड़ा (म. प्र.)।